अध्याय द्वितीय

सम्बंधित शोध साहित्य का पुनरावलोकन

अध्याय–द्वितीय
सम्बन्धित शोध साहित्य का पुनरावलोकन

2.1 प्रस्तावनाः–

किसी भी क्षेत्र के अनुसन्धान की प्रक्रिया में साहित्य का पुनरावलोकन एक महत्वपूर्ण कदम है। शोधकार्य के अंतर्गत साहित्य का पुनरावलोकन एक प्रारंभिक एवं अनिवार्य प्रक्रिया है। वर्तमान ज्ञान की जानकारी के प्श्चात् ही ज्ञान को आगे बढ़ाया जा सकता है।

सम्बन्धित साहित्य का तात्पर्य है, अनुसन्धान की समस्या से सम्बन्धित उन सभी प्रकार की पुस्ताकें, ज्ञानकोशों, पत्र–पत्रिकाओं, प्रकाशित तथा अप्रकाशित शोध प्रबंधो एवं अभिलेखों आदि से है। जिनके अध्ययन से अनुसन्धानकर्ता को अपनी समस्या के चयन, परिकल्पनाओं, शोध प्रश्नों के निर्माण, अध्ययन की रूपरेखा तैयार करने एवं कार्य को आग्र बढाने में सहायता मिलती है। इसके अभाव में उचित दिशा में अनुसंधान को नही बढाया जा सकता है। जब तक उसे ज्ञान न हो कि, उस क्षेत्र में कितना कार्य हो चुका है? किस विधि से कार्य किया गया है। तथा उसके निष्कर्ष क्या आए है? तब तक वह न तो समस्या का निर्धारण कर सकता है और न तो इस दिशा में सफल हो सकता है।

गुडबार तथा स्केट्स कहते है – 'एक कुशल चिकित्सक के लिए यह आवश्यक है कि, वह अपने क्षेत्र में हो रही औषधि संबंधी आधुनिक खोजो से परिचित होता रहे, उस प्रकार शिक्षा के जिज्ञासु छात्र तथा अनुसंधान के क्षेत्र में कार्य करनेवाले अनुसन्धानकर्ता के लिए भी उस क्षेत्र में सम्बन्धित सूचनाओं से परिचित होना आवश्यक है।

2.2 शोध साहित्य के अवलोकन का महत्व एवं योगदान :–

1. ज्ञान के क्षेत्र में विस्तार के लिए आवश्यक है कि, अनुसन्धानकर्ता को यह ज्ञात हो कि, ज्ञान की वर्तमान सीमा कहाँ पर है। वर्तमान ज्ञान की जानकारी के पश्चात् ही ज्ञान को आगे बढ़ाया जा सकता है।

2. पूर्व साहित्य के अवलोकन से अनुसंधानकर्ता को अपने अनुसंधान के विधान की रचना के सम्बन्ध में अर्न्तदृष्टि प्राप्त हो सके।
3. पूर्व अनुसंधानों के अध्ययन से अन्य सम्बन्धित नवीन समस्याओं का पता लगता है।
4. सत्यापन करने के लिए कुछ अनुसन्धानों को नवीन दशाओं में लाने की आवश्यकता होती है।
5. किसी अन्य अनुसंधानकर्ता द्वारा यदि वह अनुसंधान कार्य भली प्रकार किया गया हो, तो हमारा प्रयास निरर्थक साबित होगा।

2.3 समस्या से संबंधित पूर्व किये गये शोध अध्ययन का विवरण :–

शोधकर्ता के स्वयं के अनुभव तथा शोध साहित्य के शोधात्मक पुनरीक्षण के परिणाम स्वरूप यह तथ्य सामने आता है, भोपाल शहर के शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 6वीं के छात्र–छात्रओं द्वारा की जाने वाली हिन्दी भाषा लेखन संबंधी अशुद्धियों पर शोधकार्य नही हुआ है। भाषायी अशुद्धियाँ और उनके निराकरण के उपाय को लेकर जितने भी शोधकार्य हुए है, उनका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है–

1. अभिव्यक्ति की कमियाँ :–

– राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली

इसमें यह जानने का प्रयास किया गया, कि शिक्षा में भाषा का स्थान सबसे अधिक महत्पूर्ण है भाषा भावभिव्यक्ति का एक मात्र प्रवल साधन है भाषा के मौखिक रूप का प्रयोग शिक्षित तथा अशिक्षित दोनो व्यक्ति करते हैं किंतु शिक्षित व्यक्ति, अशिक्षित व्यक्तियों की अपेक्षा भाषा के मौखिक रूप का प्रयोग परिष्कृत रूप में करते है। लिखित भाषा का प्रयोग केवल शिक्षित व्यक्ति ही करते है।

चूँकि भारत वर्ष में अनेक भाषा भाषी लोग निवास करते है वहाँ भावभिव्यक्ति में कठिनाईयाँ आती है और लोग अपनी क्षेत्रीय स्वभाषा के

अहम -को नही त्याग पाये है। इसी कारण से हमारे देश में हिन्दी को अभी तक उचित स्थान प्राप्त नही हो सका है।

2. पाँचवी कक्षा के छात्रों की वर्तनी सुधार–

– राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली

इसमें यह जानने का प्रयास किया गया है कि विद्यालयों के शैक्षिक स्तर में कमी क्यों हो रही है। मनुष्य मात्र में बुद्धिगत ऐसा कोई दोष नही जिसका प्रतिकार उसके उचित अभ्यास के द्वारा नही हो सकता हो। किन्तु वर्तमान में हमारे राष्ट्र को शिक्षा के समस्याओं ने झकझोर कर रख दिया है। बालक–बालिकाएं भविष्य के कर्णधार है यदि उन्ही को सही अक्षर ज्ञान न कराया जाये तो भारत का भविष्य अंधकारमय है। शिक्षक, प्रशासनिक अधिकारी, माता–पिता अपने भारत के कर्णधार सपूतों की सुशिक्षा के लिए समर्पित भाव से काम नही करते है। परिणामस्वरूप बालक–बालिकाओं द्वारा वर्तनी संबंधी त्रुटियां होती है। इस पर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली ने बहोत ही महत्वपूर्ण अनुसंधान कार्य किया है जो कि सर्वदा सराहनीय है।

3. आनन्दीलाल (1994–95) –

"भोपाल नगर के प्राथमिक स्तर पर कक्षा 5वीं में हिन्दी भाषा के न्यूनतम अधिगम स्तर की प्राप्ति न होने के कारणों का पता लगाना'।

उद्देश्यः–

1. लघुशोध प्रबंध लिखने का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक स्तर पर कक्षा 5वीं में हिन्दी भाषा के न्यूनतम अधिगम स्तर की प्राप्ति न होने के कारणों का पता लगाना।
2. न्यूनतम अधिगम स्तर की प्राप्ति हेतु सुझाव प्रस्तुत करना।
3. भाषा के प्रमुख कौशलों – समझते हुए सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना आदि को विद्यार्थियों द्वारा कुशलता एवं सरलता से प्राप्त करना।

निष्कर्ष :–

भोपाल के शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में कक्षा 5वीं के हिन्दी भाषा के छात्र–छात्रओं ने न्युनतम अधिगम स्तर की प्राप्ति नहीं की।

4. कुमार नन्दा (1992) –

मद्रास के केन्द्रीय विद्यालय में माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों को हिन्दी लेखन में आने वाली त्रुटियों का निदानात्मक अध्ययन किया।

उद्देश्यः–

1. **केन्द्रीय विद्यालय के कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लेखन में आने वाली त्रुटियों का अध्ययन।**
2. **त्रुटियों को व्याकरण की वृद्धि से विभिन्य कौशलों में विकास करना।**
3. **त्रृटियों के स्त्रोत एवं कारणों का अध्ययन करना।**
4. **सभी त्रुटियों को उनके महत्वता के आधार पर विभक्त करना और उन त्रुटियों से संबंधित अनुपात का अध्ययन –**

निष्कर्ष :–

कुछ न्यायदर्श से 75 प्रतिशत त्रुटियों में 6 प्रकार की व्याकरणीय क्षेत्र में त्रुटियां की जो इस प्रकार है –

पद संख्या	–	79.05%
वाक्यांश	–	54.07%
विराम चिन्ह	–	88.07%
एक शब्द	–	81.68%
शब्द मिलाना	–	77.65%

विद्यार्थियों ने हिन्दी भाषा उपलब्धि, बुद्धि तथा सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर नकारात्मक सह संबंध की प्रतिशत में त्रृटियां की है।

5. पुरकर इन्द्र (1968) –

"चन्द्रपुर के माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों की भाषा संबंधी गलतियो का अध्ययन किया"।

निष्कर्षः–

1. छात्र के द्वारा शब्दों को बोलने में बार–बार गलतियां होती है।
2. मौखिक परीक्षण द्वारा यह पाया गया कि शब्दों के उच्चारण मे भी बार–बार त्रुटियां होती है।
3. लिखित परीक्षण में पाया कि बच्चे सुनकर सही शब्द नही लिखपाते।

6. अग्निहोत्री आर. (1978) –

"छोटे बच्चों में भाषा विकास इस विषय पर पी.एच.डी. अध्ययन किया" –

निकर्षः–

1. भाषा विकास स्थिति पर सामाजिक, आर्थिक स्तर का प्रभाव होता है।
2. भाषा विकास पर लिंग और जनजाति का भी प्रभाव होता है।

इस सदर्भ में सिंगलर (1986) का मत ही उचित लगता है कि बच्चे की शिक्षा तथा योग्यता विकास पर माता–पिता के सामाजिक स्तर का प्रभाव उतना नही पड़ता जितना उनकी जीवन शैली और दैनान्दनी भाषा प्रयोग और सहायता का पड़ता है।

7. एच.सी. नसीम (1978) –

"हरियाणा राज्य में कक्षा 5वीं के बच्चों की आधारभूत व्याकरण की जानकारी हेतु जांच–पड़ताल का अध्ययन किया"।

उद्देश्यः–

1. 10 वर्ष तक के विद्यार्थियों की समझ में आनेवाले शब्दों की सूची तैयार करना।

2. पाठ्य पुस्तकों के लेखकों को बच्चों के उच्च, निम्न स्तर को ध्यान में रखते हुए श्रेणीबद्ध पुस्तकें तैयार करने के लिए सक्षम करना।
3. भाषाई ज्ञान में पिछड़े हुए विद्यार्थियों के लिये शिक्षकों को उपचारात्मक परिक्षण तैयार करने के लिए सक्षम करना।

निष्कर्षः–

1. 20 प्रतिशत से कम कठिनाई स्तर के शब्द 70 से कम था।
2. 20 प्रतिशत से 69 प्रतिशत तक के कठिनाई स्तर वाले 1525 शब्द पाये गये।,
3. 1525 ऐसे शब्दों को बताया गया जो कि 10 वर्ष तक के विद्यार्थियों को पता होना चाहिये।

8. श्रीवास्तव मिनी (1999) –

"प्राथमिक शिक्षा के विद्यार्थियों की हिन्दी भाषा उपलब्धि एवं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अध्ययन"।

उद्देश्यः–

1. कक्षा 5 में अध्ययनरत विद्यार्थियों की हिन्दी भाषा की दक्षताओं का परिक्षण करना।
2. प्राथमिक शिक्षक–शिक्षिकाओं में साक्षात्कार करना।
3. कक्षा 5 में अध्ययनरत विद्यार्थियों को हिन्दी शिक्षण तथा भाषा की अनुमति हेतु सुझाव देना।

निष्कर्ष :–

1. 77 प्रतिशत विद्यार्थियों ने बोलने में दक्षता हासिल कर ली है।
2. 32 प्रतिशत विद्यर्थियों में स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण की कमियां पाई गई।
3. अवलोकन पर यह भी देखा गया कि शिक्षक स्वयं उसी भाषा का प्रयोग करते है।

सारांश :–

शोधकर्ता ने अध्याय द्वितीय में प्रमुख रूप से समस्या से संबंधित पूर्व अनुसंधानों का संक्षिप्त विवरण, पूर्व अनुसंधानों के आधार पर अध्ययन हेतु प्रमुख उद्देश्यों का निर्धारण एवं अनुसंधाना संबंधित अनुमानित परिकल्पनाओं का निर्माण किया गया। अगले अध्याय में संबंधित अनुसंधान प्रक्रिया की विवेचना की जायेगी।